

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 25
वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़		
	107.51	483.87	591.38	73.82	1102.66	1176.48	177.54	1584.22	1761.76		
	24.49	-222.35	-197.86	22.21	-994.87	-972.66	133.56	28.79	162.35		
	132.00	261.52	393.52	96.03	107.79	203.82	311.10	1613.01	1924.11		
औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं											
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2885	6.05	...	6.05	8.05	...	8.05	6.64	...	6.64	
घटाइए- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अधिमानी शेषों के मोचन से प्राप्तियां	4885	-247.00	-247.00	
		निवल	6.05	...	6.05	8.05	-247.00	-238.95	6.64	...	6.64
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2885	21.00	...	21.00	42.00	...	42.00	
	6885	2.28	...	2.28	5.56	...	5.56	
		जोड़	23.28	...	23.28	47.56	...	47.56	
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	2885	43.76	...	43.76	43.76	...	43.76	62.90	...	62.90	
	6885	1.45	...	1.45	1.45	...	1.45	1.00	...	1.00	
		जोड़	45.21	...	45.21	...	45.21	63.90	...	63.90	
4. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	2885	8.17	...	8.17	8.17	...	8.17	
	4885	100.00	...	100.00	
		जोड़	8.17	...	8.17	...	8.17	100.00	...	100.00	
5. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जारी प्रतिभूतियां	4885	100.00	...	100.00	
	8012	-100.00	...	-100.00	
		Net	
6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	2885	50.00	...	50.00	
जोड़-औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं		82.71	...	82.71	61.43	-247.00	-185.57	268.10	...	268.10	
कृषि वित्तीय संस्थाएं											
7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	2416	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00	
	6416	20.76	...	20.76	20.76	...	20.76	20.00	...	20.00	
		जोड़	28.76	...	28.76	...	28.76	29.00	...	29.00	
जोड़-कृषि वित्तीय संस्थाएं		28.76	...	28.76	28.76	...	28.76	29.00	...	29.00	
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं											
8. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूंजी की वापसी	5465	-47.95	-47.95	
मोचन की गई प्रतिभूतियां	8012	47.95	47.95	
		निवल	
9. आधारदांचा विकास वित्त कंपनी लिमिटेड	3465	4.29	...	4.29	4.29	...	4.29	
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं											
10. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	5466	...	980.51	980.51	...	806.24	806.24	
	6001	...	-980.51	-980.51	...	-806.24	-806.24	
		निवल	
11. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संदेश सेवा प्रभार	2047	...	1.89	1.89	...	2.38	2.38	...	0.01	0.01	
12. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	5466	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	
13. एशियाई विकास बैंक	5466	...	19.00	19.00	...	21.00	21.00	...	20.00	20.00	
14. अफ्रीकी विकास निधि/बैंक	5466	...	8.73	8.73	...	8.77	8.77	...	8.77	8.77	
15. बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण	5466	...	9.90	9.90	...	20.63	20.63	
16. कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि	2416	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	
जोड़-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं		...	39.54	39.54	...	52.80	52.80	...	28.80	28.80	
17. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता											
17.01 गोआनी बैंक	2885	...	0.08	0.08	...	0.11	0.11	...	0.11	0.11	
17.02 राष्ट्रीयकृत बैंक	2885	10.00	10.00	
		जोड़	0.08	0.08	...	10.11	10.11	...	0.11	0.11	
नौवहन											
18. जहाजों के अधिग्रहण के लिए ब्याज के अंतर के संबंध में आर्थिक सहायता	3052	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.03	0.03	

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			(करोड़ रुपए) बजट 2001-2002			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
19. विदेशी मुद्रा हानि की क्षतिपूर्ति										
19.01 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3475	...	30.00	30.00	...	52.50	52.50	...	148.07	148.07
19.02 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	3475	...	1.00	1.00	...	48.58	48.58	...	57.02	57.02
19.03 राष्ट्रीय आवास बैंक	3475	...	5.23	5.23	...	5.12	5.12	...	8.39	8.39
19.04 आवास विकास वित्त निगम	3475	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	65.00	65.00
	जोड़	...	96.23	96.23	...	166.20	166.20	...	278.48	278.48
20. रिसर्जेंट इंडिया बांडों पर होने वाली मुद्रा हानि के एमओवी खाते के लिए अंशदान	3475	...	260.00	260.00	...	798.29	798.29	...	1179.94	1179.94
	6001	...	-260.00	-260.00	...	-798.29	-798.29
	निवल	1179.94	1179.94
21. अन्य व्यय	3466	...	0.60	0.60	...	0.61	0.61	...	0.64	0.64
	4885	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	जोड़	...	0.61	0.61	...	0.62	0.62	...	0.65	0.65
विविध सामान्य सेवाएं										
22. गारंटी परिशोधन कोष को अंतरण	2075	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00
25. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त व्यवस्था	2552	16.24	...	16.24	1.55	...	1.55	7.00	...	7.00
	4552	7.00	...	7.00
	जोड़	16.24	...	16.24	1.55	...	1.55	14.00	...	14.00
कुल जोड़		132.00	261.52	393.52	96.03	107.79	203.82	311.10	1613.01	1924.11
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	12885	2.28	...	2.28	5.56	...	5.56
2. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	12885	1.45	...	1.45	1.45	...	1.45	1.00	...	1.00
3. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	12885	100.00	...	100.00
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	12416	20.76	...	20.76	20.76	...	20.76	20.00	...	20.00
जोड़		24.49	...	24.49	22.21	...	22.21	126.56	...	126.56

उपर्युक्त वित्तीय संस्थाओं के संबंध में केन्द्रीय आयोजना में केवल बजट सहायता शामिल है।

ग. आयोजना परिव्यय

1. कृषि वित्तीय संस्थाएं	12416	28.76	...	28.76	28.76	...	28.76	29.00	...	29.00
2. औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं	12885	82.71	...	82.71	61.43	...	61.43	268.10	...	268.10
3. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	13465	4.29	...	4.29	4.29	...	4.29
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	16.24	...	16.24	1.55	...	1.55	14.00	...	14.00
जोड़		132.00	...	132.00	96.03	...	96.03	311.10	...	311.10

1. **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक:** यह एक शीर्ष संस्था है जो सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमों को दीर्घावधिक वित्त प्रदान करती है तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनः वित्तपोषण की सुविधाएं प्रदान करके और उनके ऋण-पत्र निर्गमों के लिए अभिदान करके उनके क्रियाकलापों को समन्वित तथा अनुपूरित करती है।

2. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम:** यह निगम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण तथा अग्रिम देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों के लिए अभिदान करता है; यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पूंजी बाजार में लिए गए ऋणों की गारन्टी भी देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए स्टाक, शेयरों, बांडों तथा ऋण-पत्रों की हामीदारी भरता है।

3. **भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम:** यह निगम रुपयों तथा विदेशी मुद्रा में सावधिक ऋण देने की व्यवस्था करता है, शेयरों के लिए अभिदान करता है तथा उनकी हामीदारी लेता है और मुख्य रूप से पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रयोजनार्थ अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋण की अदायगी की गारन्टी देता है।

4. **भारतीय निर्यात-आयात बैंक:** इस बैंक की स्थापना भारत के अंतर्राष्ट्रीय

व्यापार की वित्त व्यवस्था करने तथा इस क्षेत्र में कार्यरत इसी प्रकार की संस्थाओं के कार्य का समन्वयन करने के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई है। यह प्रावधान बैंक की शेयर पूंजी के अंशदान के लिए किया गया है।

5. **भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक** कलकत्ता आधारित एकमात्र विकास वित्त संस्थान है।

6. **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक:** इसे लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने, उनकी वित्त व्यवस्था तथा विकास करने तथा इसी प्रकार के कार्यकलापों में लगी संस्थाओं के कार्यों के समन्वयन हेतु एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायक बैंक के रूप में 2 अप्रैल, 1990 को अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। यह अपने कार्यकलापों को ऋण देने वाले मौजूदा तंत्र के माध्यम से पूरा करता है जिसमें राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

7. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक:** यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु, कुटीर और ग्रामोद्योगों तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण देकर एकीकृत

ग्रामीण विकास का संवर्धन करता है; राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि विकास के लिए दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित कतिपय संस्थाओं को सीधे वित्तीय सहायता भी देता है।

8. यह सरकार द्वारा, आन्ध्र बैंक द्वारा प्रदत्त पूंजी पर प्रतिफल का द्योतक है (47.95 करोड़ रुपए)। इसे बैंक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के उन्मोचन द्वारा साथ ही समायोजित किया जाएगा।

9. यह प्रावधान आधारदांचा विकास वित्त कंपनी लिमिटेड को विदेशी सहायता प्रदान करने के लिए है।

10. यह कोष की भारतीय मुद्रा की धारिता के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को की जाने वाली अदायगियों को दर्शाता है।

11. यह प्रावधान सहायक व्यवस्था और प्रतिपूरक तथा आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत किए गए आहरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संदेय सेवा प्रभार के लिए है। ये प्रभार प्रचलित विनिमय दर पर आधारित है।

12. यह प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के पूंजी स्टॉक में अभिदान करने और मूल्य संबंधी दावों के अनुरक्षण के लिए है।

13. यह प्रावधान एशियाई विकास बैंक के मूल्य भुगतानों के अनुरक्षण को पूरा करने के लिए है।

14. इसमें अफ्रीकी विकास निधि की पूंजी की पूर्ति के लिए और अफ्रीकी विकास बैंक की पूंजी के स्टॉक में अंशदान के लिए भारत के अंश का प्रावधान किया गया है।

16. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना 1977 में की गई थी। यह

निधि संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषज्ञताप्राप्त अभिकरण है। यह विकासशील सदस्य देशों को कृषि के विकास के लिए रियायती दरों पर धनराशियां उपलब्ध कराता है। यह प्रावधान आई.एफ.ए.डी. को भारत के अंशदान के लिए है।

17. इसमें गोआनी बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दरों में रियायत के बदले आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान है।

18. नौवहन कंपनियों बैंक ऋणों पर बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली दर की अपेक्षा कम दर पर ब्याज की अदायगी करती हैं; इस अंतर को सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता द्वारा पूरा किया जाता है।

19. यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास विकास वित्त निगम को इन संगठनों द्वारा विदेशी स्रोतों के ऋणों की वापसी में अंतर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु भरपाई के प्रति है।

20. यह प्रावधान रिसर्जेंट इंडिया बांडों के कारण मुद्रा हानि के लिए सं.अ. 2000-01 में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में समतुल्य निवेश को संशोधित प्रक्रिया के अनुसार ब.अ. 2001-02 में घटाया नहीं जा रहा। ब.अ. 2001-02 में 1179.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

21. इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एस.डी.आर. लेखा के प्रशासन के लिए देय निर्धारण प्रभारों और स्टेट बैंक आफ सिक्किम (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1982 के अंतर्गत देय राशि के लिए प्रावधान है।

22. यह प्रावधान इस कोष की संचित निधि निर्मित करने के लिए है।

23. इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान शामिल है।